राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।
वाद संख्या–06 / 2024
बब्लू कुमार साह बनाम् सोनू कुमार शर्मा।

इस वाद की अंतिम सुनवाई दिनांक–20.11.2024 को हुई, जिसमें वादी एवं प्रतिवादी दोनों अनुपस्थित। जिला प्रशासन की ओर से श्री धर्मेन्द्र कुमार, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गोपालगंज उपस्थित।

यह वाद जिला प्रशासन की तरफ से उपलब्ध कराये गये, प्रतिवेदन पत्रांक–40 / प0, दिनांक–05.01.2024 के आलोक में श्री बब्लु कुमार साह एवं अन्य ग्रामीणों के परिवाद–पत्र में वर्णित आरोपों के प्रथम दृष्ट्या सही पाये जाने पर प्रारंभ किया गया था।

नैसर्गिक–न्याय के नियम के तहत श्री बब्लु कुमार साह एवं श्री सोनू कुमार को अपना–अपना पक्ष रखने हेतु पक्षकार घोषित किया गया था। अधिकांश अवसरों पर वादी एवं प्रतिवादी अनुपस्थित रहे।

जिला प्रशासन के प्रतिवेदन के अनुसार यह सत्य पाया गया कि प्रतिवादी श्री सोनु कुमार के विरूद्ध गोपालगंज नगर थाना काण्ड संख्या–488 / 2019 के बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम–2018 की धारा–30(क) / 41(1) के तहत मामला दर्ज है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी,गोपालगंज द्वारा पत्रांक–2408 / पं0, दिनांक–14.11.2024 के माध्यम से उक्त थाना काण्ड संख्या–488 / 2019 का F.I.R. एवं जमानती आदेश की सत्यापित प्रति उपलब्ध करायी गयी है। उक्त मामले में A.D.J.-(XIII) गोपालगंज के सम्मूख उक्त वाद काण्ड के दो अभियुक्तों के साथ प्रतिवादी सोनु सिंह को प्रस्तुत किया गया, जिसमें सभी अभियुक्तों को A.D.J.-(XIII) गोपालगंज द्वारा सशर्त्त जमानत दे दी गयी है, परन्तु किसी भी अभियुक्त को विमुक्ति प्रदान नहीं की गयी है।

उक्त प्रतिवेदन से यह प्रमाणित होता है कि प्रतिवादी के विरूद्ध नांमाकन की तिथि को संज्ञेय अपराध में मामला दर्ज था, परन्तु उक्त मामलें में नांमाकन की तिथि तक किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा कोई संज्ञान आदेश पारित नहीं किया गया था। अभियुक्त निर्वाचन के उपरांत दिनांक–31.05.2022 से दिनांक–07.06.2022 तक हिरासत में थे, परन्तु यह अवधि निर्वाचन के उपरांत की अवधि है।

अतएव बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–125 के प्रावधानों के अनुसार अभ्यर्थी को केवल उन्हें मामलों को नामांकन–पत्र में अंकित करने की आवश्यकता है, जिसमें किसी सक्षम न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया हो, या अभियोग का निर्धारण किया गया हो।

उक्त वर्णित स्थिति में जबकि प्रतिवादी सोनु कुमार के विरूद्ध संवीक्षा के समय गोपालगंज नगर थाना काण्ड संख्या–488 / 2019 में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा संज्ञान

लिये जाने का कोई आदेश नहीं है, तब बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–125(3)(ग) के तहत कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।
सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।
अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0 / –	ह0 / –
(डॉ दीपक प्रसाद)	(डॉ दीपक प्रसाद)
24.06.2025	**24.06.2025**
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।	राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–06 / 2024 पटना, दिनांक–.................

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, **गोपालगंज** / जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **गोपालगंज** को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **गोपालगंज** को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक / ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

ह0 / –
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–06 / 2024 पटना, दिनांक–.................

प्रतिलिपि–वादी श्री बब्लु कुमार साह, पंचायत मानिकपुर, वार्ड संख्या–13, प्रखण्ड–जिला–**गोपालगंज** एवं श्री सोनु कुमार, वार्ड सदस्य, पिता–श्री अनिल कुमार सिंह, पंचायत– मानिकपुर, वार्ड संख्या–13, सा0–काकरकुण्ड, थाना+जिला–**गोपालगंज** को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / –
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–06 / 2024 2877 पटना, दिनांक–25.6.25

प्रतिलिपि–श्री नीतीश कुमार, आई0टी0 मैनेजर, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार को सूचनार्थ एवं अनुश्रवण तथा अनुवर्ती कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/6/25
विशेष कार्य पदाधिकारी